आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–29 / 2023

15.06.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री नुरेआलम अंसारी एवं अन्य, ग्राम–करचाली, प्रखण्ड–भण्डरिया, जिला–गढ़वा उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, गढ़वा अनुपस्थित । आज की सुनवाई Telephonic Conference के माध्यम से की गई

आयोग के निर्देश के आलोक में शिकायतकर्ता को राशन उपलब्ध करा दिया गया है। इस आशय का प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग को भेजा गया है, जो अभिलेख में मौजूद है। Telephonic Conference के माध्यम से हुई सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता ने भी यह माना है कि उन्हें राशन उपलब्ध करा दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा संपुष्टि के आधार पर आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

19.6.23	19/06/2023
(शबनम परवीन)	(हिमांशु शेखर चौधरी)
सदस्य,	अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।	राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\Rachana\Court order.docx1

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267